Phone : 022-22708100

22708400

Website: www.newindia.co.in

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : न्यु इन्डिया एश्योरन्स बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001. Regd. & Head Office : New India Assurance Bldg., 87, M.G.Road, Fort, Mumbai - 400 001. CIN No. L66000MH1919GOI000526

Ref. No.: NIACL/CMD\_Board Sectt/2019-20

April 30, 2019

To,

The Manager Listing Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower Dalal Street Mumbai 400 001 The Manager
Listing Department
The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th floor, Plot C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex
Mumbai 400 051

Scrip Code: (BSE - 540769/NSE - NIACL)

#### Re: Notice of Board Meeting to be held on Monday 13th May, 2019

This has reference to our letter dated 30.04.2019 whereby we informed you that Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 13th of May, 2019 at the registered office of the Company at 87 M G Road, Mumbai inter alia,

- To consider and approve the audited Financial Results of the Company for the year ended 31st March, 2019.
- To consider and recommend dividend, if any.
- To transact any other matter which the board may deem fit.

The Notice has also been published in the required dailies on 01.05.2019 and the said notice are also available on Company's website at <a href="www.newindia.co.in">www.newindia.co.in</a>. A copy of the aforesaid Newspaper cuttings is also enclosed for your reference.

Kindly take the same on record.

Thanking You

Yours faithfully

For The New India Assurance Company Limited

Jayashree Nair

Company Secretary & Chief Compliance Officer



### **ELECTRIC VEHICLES**

Amitabh Kant, CEO, Niti Aayog @amitabhk87

Ready for electric vehicles? This is the biggest disruption that will happen in India. The future is shared, & electric. Cost of battery is falling rapidly.

### Quick View

### **US comm secy** to meet Prabhu on May 6

US COMMERCE Secretary Wilbur Ross will meet commerce minister Suresh Prabhu on May 6 in New Delhi to discuss trade-related issues amid America's decision to withdraw export benefits to Indian exporters, sources said. "Ross is coming to participate in the Trade Winds Indo-Pacific Forum and Mission and would hold bilateral meeting with Prabhu," one of the sources said.

#### Chit fund case: SC asks CBI to place evidence

THE SUPREME COURT on Tuesday asked CBI to furnish evidence for seeking custodial interrogation of former Kolkata police commissioner Rajeev Kumar in Saradha chit fund case, saying it has to be satisfied that the agency's request was "bona fide" and not for "political purposes".

#### **CBI searches YSR** Cong candidate's offices, residences THE CBI ON Tuesday

searched the residences and offices of YSR Congress candidate from Narsapuram, K Raghurama Krishnam Raju, for alleged loan default of over ₹947 crore, agency officials said.

DRAFT REGULATIONS

### Promoters may get chance to come back

The draft says if firms undergoing insolvency fail to attract any resolution plan, an attempt can be made through a compromise scheme

**FE BUREAU** New Delhi, April 30

#### **DEFAULTING PROMOTERS, WHO** are barred from submitting resolution plans and bidding for their stressed companies under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), may get a last chance to make a comeback at the liquidation stage. A discussion paper on the corporate liquidation process along with draft regulations, floated by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), has proposed that a credible 'compromise or arrangement' proposal can be made by play-

This means if a stressed firm undergoing insolvency process doesn't attract any resolution plan and is deemed for liquidation under the IBC, a last-ditch attempt can be made to save the company from liquidation through the compromise scheme by invok-

ers (including promoters) to

the liquidator under the Com-

panies Act.



pleted by the end of March

ended in liquidation and only

in 13% of cases, resolutions

were found for stressed firms.

Of course, most of these "dead

cases" were transferred from

an earlier regime where resolu-

tion was not expected. How-

ever, considering that liquida-

tion directly causes job losses,

the regulator seems to have

floated the latest proposal,

aligning the relevant sections

of the IBC with the Companies

Act, to keep the company a

going concern and maximis-

ing the asset value, said

also proposed that a stake-

holders' consultation commit-

tee — with representation

from financial and operational

creditors, among others — be

set up to advise the liquidator

on the sale of assets and/or

business. Currently, under the

The draft regulations have

analysts.

ing section 230 of the Companies Act. Importantly, section 29A of the IBC, which makes defaulting promoters ineligible to become resolution applicants, won't be applicable in such cases.

In fact, the National Company Law Appellate Tribunal in the case of SC Sekaran has directed the liquidator to give the scheme of compromise a chance before selling any asset. The scheme of compromise and arrangement was also tried in cases of Amar Dye Chem and Gujarat NRE Coke during liquidation. The regulator has sought comments on the draft regulations from stakeholders and public in general by May 19.

The IBBI move came at a time when almost 53% of the CIRPs (corporate insolvency resolution processes) comIBC, only financial creditors are part of the committee of creditors that make decision on resolution plans. The draft regulations also

said that liquidation should be achieved in one year and any extension of the deadline may be granted only by the NCLT. Currently, while there is a 270day deadline for resolution, there is no such time frame for liquidation. "While compromise or arrangement under section 230 of the (Companies) Act is proposed, it must be utilised first and only on its closure/failure, liquidation under the Code (IBC) may commence," the draft said. However, a credible proposal for "compromise or arrangement" must be made to the liquidator within seven days of the date of order for liquidation by the National Company Law Tri-

Manoj Kumar, head (M&A,

Transactions and Insolvency)

at consultancy firm Corporate Professionals Capital, said the insolvency regulator has taken into account the fact that, since the lives and daily bread of numerous stakeholders are dependent upon the survival of a company, all attempts must be made to revive an insolvent one before it is liquidated. "This provision (compromise or arrangement) would also give last opportunity to the promoters of the company to make an attempt to revive it as the disqualification under section 29A would not apply to it," Kumar said.

### **CEA** issues draft guidelines on cross-border power trade

**FE BUREAU** New Delhi, April 30

THE CENTRAL ELECTRICITY Authority (CEA) has framed the draft procedural guidelines for firms to participate in crossborder electricity trade, a move that could open up an annual potential market of additional 5-6 billion units of electricity.

While the CEA proposes to allow Indian entities to import electricity from neighbouring countries only through bilateral agreements, export of power can now be done through spot power markets as well.

The 'draft conduct of business rules of the designated authority for facilitating the cross border trade of electricity' clarified that plants with Coal India fuel linkage or captive mines cannot sell power outside India. Only the power plants which generate electricity using coal sourced through import, spot e-auctions (at premium rates) or commercial mining can export electricity. The Cabinet has recently allowed the sale of 25% produce of captive coal mines to the open market on a commercial basis.

The power ministry had removed restrictive riders which discouraged neighbouring countries to buy power from India's spot power markets last December. The earlier guidelines allowed cross border trade only through the 'term ahead' market and did not allow trading in the more attractive 'day-ahead' market. After that the Central Electricity Regulatory Commission had also revised the regulations to ease trading norms.

### I-T dept to share taxpayer info with GSTN

**FE BUREAU** New Delhi, April 30

IN WHAT WOULD ensure a systematic and formalised exchange of information between direct and indirect tax departments, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) on Tuesday appointed a nodal officer to oversee flow of taxpayer's data to the Goods and Services Network (GSTN) – which is the IT backbone for GST.

Earlier this year, the income-tax department had released new return forms for assessment year 2019-20, which require the taxpayers to provide additional business details including total income, turnover ratio and other GST payment related information.

The GSTN can now approach the IT department and request for exchange of information related to assessee through the nodal officer. The information can be on status of filing of income tax returns, turnover declared and gross total income among others.

Further, spontaneous and automatic exchange of data would also occur under specific conditions which would be decided by concerned authorities, the CBDT order said.

"While furnishing the information, the specified income-tax authority shall form an opinion that sharing such information is necessary for the purposes of enabling the specified authority in GSTN to perform its function under the Goods and Service Tax," the CBDT order said.

The exchange of information would be contingent on the agreement entered into by the nodal officers of the GSTN and IT department. The agreement would dictate norms for exchange of data and maintenance of confidentiality, mechanism for safe preservation of data, weeding out after usage among other aspects.

Rakesh Nangia, managing partner at Nangia Advisors(Andersen Global) said: "With more information in hand, the government would be able to validate amount of income disclosed both under the income-tax and GST which would enable the authorities to identify any under-reporting non-reporting of income, if any. Though, the order provides extensive powers to specified authority for providing information but it has to follow a well-defined protocol to ensure fair practices."

Tata Starbucks found guilty of profiteering ₹4.51 cr

The GST investigative arm has found Tata Starbucks guilty of profiteering to the tune of ₹4.51 crore by not reducing prices of coffee despite a cut in the rate.

Investigation by the Directorate General of Anti Profiteering (DGAP) has revealed that Tata Starbucks, the equal joint venture between the Tata and global coffee chain Starbucks, had hiked the base price of one its coffee variant after the GST Council cut tax rates on restaurants from 18% to 5% with effect from November 15, 2017.

### From the Front Page

### Sebi co-allocation case: NSE fined, ex-CEOs to forgo

part-salary

SEBI DIRECTED NSE to carry out system audit at frequent intervals, after a thorough appraisal of the technological changes introduced from time to time and to reconstitute its standing committee on technology at regular intervals to take stock of technological issues. It also asked NSE to frame a clear policy on administering whistle blower complaints.

NSE's average net profit margin was 77% across the years 2010-11 to 2013-14. Applying the margin on NSE's revenues from co-location facility (excluding rack charges) from 2010-11 to 2013-14, the profit from colocation operation worked out to ₹624.89 crore.

In a separate order, titled "Order in the matter of NSE-Corporate Governance in respect of Mr Ajay Shah and others", the regulator mentioned that it conducted examination on Ajay Shah and his wife Sunita Thomas, of Indira Gandhi Institute of Development Research, after it had received complaints, alleging that Shah, Thomas and others have used their position and connection with NSE to their advantages and thereby benefited themselves in breach of the applicable laws and rules.

Shah is "directed not to hold, directly or indirectly, any

position in the management of and/or in the Board of or be associated in any manner and in any capacity, with any Stock Exchange, Clearing Corporation, Depository, recognized or registered by Sebi and/or with any intermediary registered with Sebi or their related entities and/or with any company listed in any of the Stock Exchanges recognized by Sebi, for a period of 2 years".

Similarly, Infotech Finan-

cials, Krishna Dagli and Sunita Thomas are "directed not to provide any services to and/or be associated in any manner and in any capacity, directly or indirectly, with any Stock Exchange, Clearing Corporation, Depository, recognised or registered by Sebi, and/or with any intermediary registered with Sebi or their related entities and/or with any company listed in any of the Stock Exchanges recognized by Sebi, for a period of 2 years".

### Trump sues Deutsche Bank, Capital One to block House subpoenas

SCHIFF SAID PREVIOUSLY in a statement the subpoenas issued included a "friendly subpoena to Deutsche Bank". Trump recently has said he intends to defy any efforts from the Democrats to dig into his affairs. Among other things, the Democrats have dealings Trump might have with Russia. The suit, which includes

been looking into possible

The Trump Organization Inc and Trump's three eldest children Donald Jr, Eric and Ivanka, states that the court has the power to declare the subpoenas invalid. Attorneys and representa-

tives of either side were not immediately available to Reuters late on Monday. **—REUTERS** 

### Amid liquidity crunch, fears of NBFC defaults intensify

THE WEEK ENDED April 26 was a particularly difficult one for those looking to raise money as the average liquidity deficit in the banking system, based on net outstanding repo transactions, widened to a nine-week high, according to Care Ratings.

"The tightening of the banking system liquidity at the start of the week can primarily be attributed to the outflows towards tax payments and the high levels of currency in circulation (at ₹21.9 lakh crore as of April 19, 2.4% higher than that in end-March, 2019) presumably on account of the general elections," the rating agency said in a report.

Housing finance companies (HFCs) have been particularly susceptible to the impact of the liquidity crisis that first emerged in September 2018

and has persisted ever since. This is because much of their borrowing is in the form of short-term commercial papers (CPs) even as most of their advances are repaid over a much longer period. In a liquidity-starved market, they have had to roll over their borrowings at relatively high yields. Wariness on the part of debt mutual funds, some of whom recently failed to repay investors in fixed maturity plans (FMPs) following partial repayments by the Essel group, has also contributed to liquidity tightness.

Liquidity is likely to remain in deficit mode in the current week as higher market borrowings by the government add to the existing conditions. Month-end government spending and the central bank's bond purchase of ₹12,500 crore on May 2 could ease conditions a bit, analysts at Care said.

### SC notice to EC on Congress plea for action against PM, Snan

THE BENCH, HOWEVER, clarified that it was only taking up matters listed for final hearing. Meanwhile, another bench comprising the CJI and Justices Kaul and Joseph, which sat at 2.15 pm, took up Dev's petition but found that the EC counsel was not present. It later issued the notice.

#### HE ADDED: "Tomorrow, when petrol variants with equal power are launched at a lower price, demand for these

will automatically pick up."

Maruti's strategy is to replace its diesel models which accounted for 23% of sales in FY19 — with petrol variants. Given these would be more attractively priced than the diesel models of competitors, Maruti would not lose market share.

Analysts at Kotak Institu-

SIAM expects the passenger vehicle industry to grow by 3-5% year-on-year in 2019-20. However, Maruti Suzuki expects to grow volumes by 4-8%.

The price differential Bhargava said similar

Manu Singhvi appeared for Dev, the Congress MP from Silchar. "Since March 10, 2019, ie, the date on which General Elections 2019, were notified, the Prime Minister, Mr Narendra Modi and the BJP President, Mr Amit Shah, specifically in sensitive areas and States, have ex-facie violated the provisions of the RP Act and the Election Rules and the process, thereof," Dev said in the petition.

The first complaint against

### losses from diesel phaseout' From 32.3% share of diesel vehicles of Maruti Suzuki in

'Petrol, hybrid, models to offset

2014, the share has fallen to 26.7% in 2019. For the entire industry, the share of diesel cars has fallen from 53% in 2013 to 34% in 2018.

tional Equities are pencilling in a volume growth of 5% in 2019-20 on the back of an anaemic 4.7% increase in 2018-19. For 2020-21, volumes are expected to grow at a much better 8.7%. "We expect MSIL to gain market share by 130 bps over FY19-21 largely led by an increase in the share of petrol vehicles in the industry mix due to the sharp rise in diesel vehicle costs once BS-VI regulations are implemented in with a petrol engine, the April 2020," they wrote.

between a diesel and petrol vehicle today is around ₹1-1.5 lakh, which, after BS-VI, will go up to ₹2-2.25 lakh. Since the price differential between the two fuels is around ₹8-10 a litre, the attractiveness of buying a diesel vehicle will disappear.

majority is in minority". The other complaints

> remarks elsewhere: On April 6, in Nanded, Maharashtra, he again referred to the Wayanad seat as one where the "coun-

Petrol (Share in %)

Source: Kotak Institutional Equities

logic would apply to the compact SUV segment where today Maruti is the market leader with a share of 28%. The winner in this segment — Brezza — has a monthly average sales volume of 15,000-18,000 and is fitted only with a diesel engine. Post BS-VI, Brezza would cost roughly ₹9.85 lakh, up from the current ₹7.85 lakh. However, if fitted compact SUV could be priced at an attractive ₹6.5 lakh much lower than the ₹7.85-

Analysts, however, are not convinced, given that 70% of compact SUVs sold in the country today run on diesel. Bhargava said the com-

lakh diesel variant.

pany might produce larger diesel vehicles of above 1.5 litre capacity if there was sufficient demand. Moreover, Maruti would offer hybrid and CNG vehicles. "As per market demand, we will also have more hybrid variants of several models," he said.

Cross and Baleno, ensuring the vehicles return high fuel efficiency. Eight of Maruti Suzuki's popular models, including Swift, Dzire, Baleno, Ciaz and Vitara Brezza, are currently available also with diesel engines. With the price gap between petrol and diesel fuel having narrowed over the last few years, the share of diesel cars has come down

Currently, Maruti offers

Ertiga and sedan Ciaz with a

mild hybrid system and is

gearing up to launch the

mild hybrid versions of S-

to SIAM data. Today, the share of petrol vehicles is over 60%. Analysts at Jefferies said Maruti's volume growth could remain under pressure in the long term. "Overall volume growth could be in the range of 0-5% over 2020-21 as demand remains weak and Maruti loses market

share," they noted.

significantly to 34% in 2018

from 53% in 2013, according

try's majority is in minority". On April 9, Modi urged firsttime voters to dedicate their vote to the soldiers who carried out the Balakot air strikes and those who lost their lives in the Pulwama terror attack. As first reported by The Indian Express on April 14, the Osmanabad district electoral officer, in his report submitted to the Maharashtra chief electoral officer, had found that this remark

On April 21, speaking in

Patan in Gujarat, Modi, while referring to himself in third person, said he had 12 missiles ready and that had Pakistan not announced the return of Wing Commander Abhinandan Varthaman then it would have had to face "qatl ki raat". On the same day, addressing a rally in Barmer in Rajasthan, he had warned Pakistan, saying that India's nuclear arsenal is not meant for Diwali. "Every other day they used to say 'we have nuclear button, we have nuclear button'. What do we have then? Have we kept it for Diwali?"he said.

"It is in public domain that they have indulged in hate speeches, repeatedly used the armed forces for political propaganda, despite a clear prohibition on the same by the Respondent/ECI," Dev said in the petition, adding, "furthermore, the Prime Minister, in blatant violation of the MCC held a rally on the day of polling in Gujarat on April 23rd, 2019 ie, date of voting for the third phase of the election".

Her petition said the Congress had moved several representations to the poll panel since the proclamation of the MCC regarding the violation of electoral laws including the Model Code.

The Commission, she said, had acted against other candidates who were found to be breaching electoral laws including the Model Code. "However, the Respondents are guarded and oblivious to the comprehensive representations/complaints (duly supported by the cogent evidence) that have been filed by the petitioner's party against the Prime Minister and Mr Amit

Dev said "the lack of decision despite cogent evidence, representations and exhortations to the Respondent/ECI demonstrates abdication and indecision and a complete absence of justice in ensuring a level playing field". She said the "inaction" by the poll panel "is a tacit endorsement of the statements and clean chit to the individuals whose statements and actions are ex facie in violation of the provisions of the RP (Representation of the People) Act and the Election Rules 1961 including the

Shah," she said.

### **Petronet LNG Limited**

NOTICE INVITING TENDER (NIT) FOR THE APPOINTMENT OF CONSULTANT FOR PROVIDING SAP APPLICATION SUPPORT AT PETRONET LNG LTD, NEW DELHI

Petronet LNG Limited (PLL) invites bids from experienced and financially sound contractors for "APPOINTMENT OF CONSULTANT FOR PROVIDING SAP APPLICATION SUPPORT AT PETRONET LNG LTD.

Interested parties are requested to visit our website www.petronetlng.com for detailed eligibility criteria along with other necessary details for issuance of Tender document

Note: PLL reserves the right not to issue the tender document and / or accept or reject any or all the bids at any stage of the process and/or modify the process without assigning any reasons on its sole discretion. No separate notification shall be issued in press. Bidders are requested to visit the website regularly to keep themselves updated.

Manager (C&P) PETRONET LNG LIMITED Petronet LNG Limited, 1st Floor world Trade Centre, Babar Road, Barakhamba Lane, New Delhi. E-mail id:-cnp@petronetlng.com

### **NEW INDIA ASSURANCE** दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड The New India Assurance Co. Ltd Regd. & Head Office: 87, M.G. Road, Fort, Mumbai-400 001

CIN No.: L66000MH1919GOI000526, IRDA Reg No: 190 Tel: +91 22 22708263; Fax: +91 22 22652811 Email: investors@newindia.co.in; Web site: www.newindia.co.in

Notice of Board Meeting to be held on the 13th of May, 2019

NOTICE is hereby given that pursuant to relevant Regulations of the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requierments) Regulations, 2015 a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 13th of May, 2019 at the registered office of the Company at 87 M G Road, Mumbai inter alia.

To consider and approve the audited financial results of the Company for the year ended 31st March, 2019. To consider and recommend Dividend, if any. To transact any other matter which the board may deem fit.

A copy of the said notice is also available on Company's web site a

For The New India Assurance Co Ltd. Date: 30.04.2019 Jayashree Nair Place : Mumbai

Senior advocate Abhishek the PM on April 5 was regarding a rally in Wardha on April 1 in which Modi, referring to Congress president Rahul Gandhi's decision to also contest from Wayanad, said the party is "running away from majority-dominated areas" to "take refuge in areas where the

against the PM relate to his

was "inconsistent" with EC's instructions prohibiting the use of armed forces for politi- | MCC"

# तेज बहादुर का नामांकन हो सकता है खारिज विवादित पायलट की तरक्की का

वाराणसी, ३० अप्रैल (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने वाले बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर का नामांकन खारिज किया जा सकता है। तेज बहादुर यादव वाराणसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय ने तेज बहादुर यादव से चुनाव आयोग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लाकर जमा करने का निर्देश दिया है। इस प्रमाणपत्र को जमा करने के लिए तेज बहादुर यादव को एक दिन का समय दिया गया है। यह प्रमाणपत्र उन्हें 1 मई को सुबह 11 बजे तक जमा करना है। प्रमाणपत्र जमा न करने की स्थिति में उनका नामांकन निरस्त किया जा सकता है।

नामांकन फोरम में किसी भी तरह की कमी थी तो मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था। निर्वाचन कार्यालय द्वारा मुझसे प्रमाणपत्र जमा करने के

लिए बुधवार 11 बजे तक का समय दिया गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया। 11 बजे तक अनापत्ति प्रमाणपत्र लाना किसी भी

इस विषय में तेज बहादुर यादव का कहना है पर दबाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह नहीं

को पहले निर्दलीय और 29 अप्रैल को सपा उममीदवार के रूप में नामांकन किया था।

निर्वाचन कार्यालय ने तेज बहादुर को नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग से

इस बीच भीम आर्मी ने कहा कि वह वाराणसी कीमत पर संभव नहीं है। इससे यह बात साफ में सपा-बसपा उम्मीदवार तेज बहादुर यादव के

चंद्रशेखर आजाद ने मंगलवार को यह बात कही।

### फैसला एअर इंडिया ने पलटा

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा)।

एअर इंडिया के पायलट अरविंद कठपालिया की क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर नियुक्ति के फैसले को कुछ घंटों बाद ही एअरलाइंस ने मंगलवार को टाल दिया। कठपालिया का उड़ान लाइसेंस नवंबर 2018 में उड़ान पूर्व मदिरा परीक्षण में नाकाम रहने पर निलंबित कर दिया गया था।

एअर इंडिया की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया, 'पंकज कुमार, क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के 30 अप्रैल 2019 को सेवानिवृत्त होने के बाद कैप्टन अरविंद कठपालिया एक मई 2019 से क्षेत्रीय निदेशक

(उत्तरी क्षेत्र) का पदभार ग्रहण करेंगे।' एअर इंडिया के नैरो बॉडी एअरक्राफ्ट उड़ाने वाले पायलटों का प्रतिनिधित्व करने वाली इंडियन कर्मिशयल पायलट असोसिएशन (आईसीपीए) ने कहा कि एक दागी अधिकारी की पदोन्नति के लिए सर्वोच्च अधिकारी काफी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि, इसके कुछ समय बाद एअर

इंडिया ने एक और अधिसूचना जारी कर कहा, 'कैप्टन अरविंद कठपालिया को क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) का प्रभार सौंपने वाली अधिसूचना अगले आदेश तक निलंबित रहेगी। कठपालिया की नियक्ति के निलंबन के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

## सीआइएससीई के दसवीं और बारहवीं के 7 मई को नतीजे

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 30 अप्रैल।

काउंसिल फोर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (सीआइएससीई) ७ मई को दोपहर तीन बजे दसवीं (आइसीएसई) और बारहवीं (आइएससी) के नतीजे घोषित करेगी। दोनों कक्षाओं के परिणाम सीआइएससीई की वेबसाइट, काउंसिल के करिअर पोर्टल और एसएमएस के माध्यम से देखे जा सकेंगे।

सीआइएससीई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिव गेरी अराथून के मुताबिक ऐसे विद्यार्थी जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे। वे करिअर पोर्टल के माध्यम से दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोबारा उत्तरपुस्तिकाओं की जांच के लिए 7 से 13 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि परिणाम घोषित होने के बाद 48 घंटे बाद दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के अंकपत्र और प्रमाणपत्र डिजिलॉकर पर भी उपलब्ध होंगे। विद्यार्थी अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से डिजिलॉकर से अंकपत्र और प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

वेबसाइट पर परिणाम : सीआइएससीई और करिअर पोर्टल के माध्यम से नतीजे जानने के लिए सबसे पहले 'रिजल्ट्स2019' के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जिस कक्षा का परिणाम देखना है, उस पर क्लिक करना होगा। नतीजे जानने के लिए विद्यार्थी का यूनीक आइडी, इंडेक्स नंबर और कैप्चा निर्धारित स्थान पर डालना होगा। इसके बाद परिणाम सामने आ जाएगा।

एसएमएस से नतीजे : विद्यार्थी एसएमएस के माध्यम से भी अपना परिणाम जा सकेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को 09248082883 पर एसएमएस भेजना होगा। दसवीं के विद्यार्थियों को अंग्रेजी में आइसीएसई के बाद सात अंकों की यूनीक आइडी लिखनी होगी। इसी तरह बारहवीं के विद्यार्थियों को आइएससी के बाद सात अंकों की यूनीक आइडी लिख कर एसएमएस करना होगा। इसके बाद विद्यार्थियों को एसएमएस पर ही परिणाम मिल जाएगा।

### कठ्आ में शराब बनाने की अवैध इकाई पर छापेमारी

जम्मू, ३० अप्रैल (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में शराब बनाने की अवैध इकाई पर छापेमारी के दौरान दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया पुलिस के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान रोशन लाल और सुशील कुमार के तौर पर हुई है। छापेमारी की कार्रवाई चिबे चाक रायबाग गांव में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने यहां बुधी गांव में एक अन्य कार्रवाई में शराब बनाने की एक दूसरी अवैध इकाई का पता लगाया। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने 120 लीटर 'लाहन' (देसी शराब) नष्ट की है।

सार्वजनिक सूचना प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम

30 के अनुपालन में] क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष **हम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 धारा (4)** के

मामले में प्रिन्टसिटी

(CIN:U74900DL2012PTC231629) जिसका पंजीकृत कार्यालय 609, आरजी ट्रेड टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 में है, के मामले में .......आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 25 मार्च, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लाज II के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी दिल्ली में माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ के पास आवेदन करने का

प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्रः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण

भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

प्रिन्टिसटी प्राईवेट लिमिटेड के लिये

विकाश प्रथि तिथि: 01.05.2019 स्थानः दिल्ली DIN: 01079675 निवासी: 168-पी, सेक्टर-14,

मंगलवार 3 बजे जिला अनापत्ति

कि नामांकन के वक्त उनसे इस तरह के किसी चाहते कि मैं यहां से उन के खिलाफ चुनाव लडूं। भी प्रमाणपत्र की मांग नहीं की गई। यदि मेरे गौरतलब है कि तेज बहादुर यादव ने 24 अप्रैल

> • चुनाव आयोग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लाकर जमा करने का निर्देश दिया है।

• यह प्रमाणपत्र उन्हें 1 मई को सुबह 11 बजे तक जमा करना है।

दिख रही है की प्रधानमंत्री का निर्वाचन कार्यालय पक्ष में प्रचार करेगी। दलित संगठन के संस्थापक

चंद्रशेखर ने 17 अप्रैल को वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के अपने फैसले को रह करते हुए कहा कि उनका संगठन सपा-बसपा गठबंधन का समर्थन करेगा और दलित वोट भाजपा को हराने के लिए एकजुट रहने चाहिए। बीएसएफ जवान यादव को 2017 में भोजन

की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करने वाले उनके वीडियो के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। भीम आर्मी प्रमुख ने कहा, 'मैं उनके लिए प्रचार करुंगा, ना केवल इसलिए कि वह सपा-बसपा उम्मीदवार हैं बल्कि इसलिए कि हमारे दिल में सशस्र बलों के लिए बड़ा सम्मान है जबकि भाजपा ने वोटों के लिए सुरक्षाबलों की वीरता का दुरुपयोग किया।'

### कैंसर से लगभग निजात पा चुके हैं ऋषि कपूर: रणधीर

मुंबई, ३० अप्रैल (भाषा)।

जानेमाने अभिनेता रणधीर कपूर ने मंगलवार को कहा कि उनके छोटे भाई ऋषि कपूर अपनी बीमारी से उबर रहे हैं और कैंसर से लगभग निजात पा चुके हैं। 66 वर्षीय ऋषि का इस समय न्यूयॉर्क में उपचार चल रहा है। रणधीर ने बताया कि वह जल्द ही घर लौटेंगे।

उन्होंने कहा, 'उनका उपचार चल रहा है। अब वह बेहतर हैं। वह कैंसर से लगभग निजात पा चुके हैं। उन्हें वापस आने में कुछ समय लगेगा क्योंकि उन्हें पूरा इलाज कराना है। वह आगामी कुछ महीनों में यहां होंगे। बहुत जल्दी।' कपूर परिवार ने ऋषि कपूर की बीमारी के बारे में पहली बार सीधे तौर पर कोई टिप्पणी की है, हालांकि उनकी पत्नी नीतू कपूर ने नववर्ष पर की अपनी एक पोस्ट में संकेत दिया था कि उनके पति कैंसर से पीड़ित हैं।

निर्देशक राहुल रवैल ने भी फेसबुक पर ऋषि कपूर की तस्वीर साझा की और लिखा, 'ऋषि कपूर (चिंटू) कैंसर मुक्त हैं।' ऋषि कपूर का सितंबर 2018 से न्यूयॉर्क में उपचार चल रहाँ है और इसी कारण वह अक्तुबर में अपनी मां कृष्णा राज कपुर के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए थे।

### सीबीएसई ने बोर्ड के फैसलों की जानकारी अभिभावकों को दी

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 30 अप्रैल।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की अध्यक्ष अनीता करवल ने बोर्ड के विभिन्न फैसलों की जानकारी देने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों को पत्र लिखा है। यह पत्र सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में बच्चे के संपूर्ण विकास को ध्यान में रख कर पढ़ाई कराई जाती है। यही वजह है कि सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वे (एनएएस) में राष्ट्रीय औसत से काफी

करवल ने लिखा कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। पिछले सत्र के दौरान बोर्ड ने विभिन्न हितधारकों के साथ कई बैठकें कीं और इस दौरान विद्यार्थियों के हक में कुछ निर्णय भी किए

लखीसराय, ३० अप्रैल (भाषा)।

केंद्र में भर्ती कराया गया।

का नाम, ट्रेडमार्क तथा लोगो का उपयोग किया है।

के लिये हम नगदी में धन एकत्र नहीं करते हैं।

एमएफआईएन) में आएं।

0002725

तिथि: 29.4.2019

डप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी ।

KEI

विषाक्त मध्याह्न भोजन खाने

से 51 बच्चे बीमार

बिहार के लखीसराय जिले में हल्सी प्रखंड के एक स्कल में

मंगलवार को विषाक्त मध्याह्न भोजन खाने से 51 बच्चे बीमार पड़ गए।

लखीसराय सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि बीमार बच्चों

को इलाज के लिए पड़ोसी जिले जमुई के सिकंदरा प्राथमिक स्वास्थ्य

स्वतंत्र माइक्रोफिन प्रा.लि. की ओर से चेतावनी सूचना

मुम्बई, बुधवार, 1 मई, 2019: स्वतंत्र माइक्रोफिन प्रा.लि. आम जनता को सूचित करना चाहता है कि

हाल के दिनों में कुछ व्यक्तियों ने करनाल, हरियाणा में एक नकली शाखा स्थापित करने के लिये कम्पर्न

कम्पनी के छदम् नाम में उन व्यक्तियों ने लोगों को ग्रुप लोन देने के नाम पर जनता से धन की ठगी की है

प्रचालनों को प्रमाणिक दिखाने के लिये उन व्यक्तियों ने कम्पनी के लोगो तथा टेडमार्क का उपयोग करते

ग्राहक सूचीकरण से लेकर प्रतिपूर्ति तक हमारा सम्पूर्ण प्रचालन डिजीटाईज्ड है तथा शुल्कों के प्रॉसेसिंग

हम एक माइक्रो फाइनांस कम्पनी हैं तथा हमारी 100% नगदी-रहित प्रतिपूर्ति की नीति है जहाँ हम ग्राहकं

आम जनता से हम अपील करते हैं कि यदि स्वतंत्र माइक्रोफिन के नाम में ऐसे दावे या वचन से आपक

सामना हो तो आप मुम्बई में कम्पनी के प्रधान-कार्यालय (वेबसाईट पर विवरण)/टोल फ्री नं.

पंजी. कार्यालयः डी-90, ओखला इंडस्टियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110020

टेली: +91-11-26818840, 26818642, 26815558, 26815559

फैक्स: +91-11-26811959, 26817225

Email: info@kei-ind.com, Website: www.kei-ind.com

एतदुद्वारा सृचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा जारी की गई निम्न शेयर प्रमाणपत्रों के गुम होने/ स्थान से विलग हो जाने की सुचना

प्रमाणपत्र के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति का कोई दावा हो, वे इस सचना के प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के भीतर ऊपर दिये गये पते पर

उसके पंजीकृत कार्यालय में ऐसे दावे दाखिल करें जिसके बाद किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा तथा कंपनी

प्राप्त हुई है तथा उसके पंजीकृत शेयरधारकों ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कंपनी के पास आवेदन किया है।

।8002679911 पर कॉल कर उसकी जाँच करें अथवा माइक्रोफिन इंस्टीच्यूशन एसोसिएशन

केईआई इंडस्ट्रीज लि.

CIN: L74899DL1992PLC051527

का नाम

मुन्नी देवी कटियार

मै. केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

जीएम (कॉर्पोरेट) तथा कंपनी सचिव

श्री किशोर कुणाल

को बैंक खाता खोलने तथा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का भाग बनने में उनकी मदद भी करते हैं।

गए जिन्हें चालू सत्र में लागू किया जा रहा है। करवल ने पत्र में लिखा कि क्योंकि अभिभावक सबसे महत्त्वपूर्ण हितधारक हैं जिस लिए इन फैसलों के बारे में पहले ही आपको बताया जा रहा है ताकि आप अपने बच्चे को उसी के हिसाब से दिशा दे पाएं।

गया है। चालू सत्र से कक्षा पहली से दसवीं तक के विद्यार्थियों के लिए हर हफ्ते कम से कम दो पीरियड कला शिक्षा के लिए होंगे। कला को शिक्षा के साथ जोड़ने का भी काम किया जा रहा है। इसी तरह कक्षा पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए हर दिन एक पीरियड खेल के विषय लेना अनिवार्य है। बोर्ड की ओर से 'स्ट्रीम' मौजूद कोई भी विषय चुनने के लिए स्वतंत्र है।

जिन विद्यार्थियों ने अभी दसवीं की परीक्षाएं दी हैं, उनके लिए बोर्ड ने एक 'संग्रह' तैयार किया है जिसके माध्यम से विद्यार्थी और उसके अभिभावक जान सकते हैं कि उसे आगे किन विषयों की पढ़ाई करनी चाहिए।

बोर्ड ने चालू सत्र से दसवीं और बारहवीं के पत्र में 14 निर्णयों के बारे में विस्तार से बताया सभी विषयों में 20 अंकों का आतंरिक मूल्यांकन शुरू किया जा रहा है। अभी तक बारहवीं कक्षा में भाषाओं, गणित, राजनीतिक शास्त्र और लीगल स्टडीज में आतंरिक मूल्यांकन नहीं था। इस साल से इन विषयों में भी आतंरिक मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। दसवीं कक्षा में इस सत्र से गणित की परीक्षा दो स्तर की होगी। विद्यार्थियों को स्टैंडर्ड होने अनिवार्य हैं। बोर्ड की ओर से कहा गया है या बेसिक गणित में से एक चुनना होगा। पत्र में कि बोर्ड कक्षा 12 में एक भाषा और चार अन्य अभिभावकों से कहा गया है कि जब वे अपने बच्चे का नौवीं और ग्यारहवीं में पंजीकरण कराएं जैसी कोई अवधारणा नहीं है। बच्चा स्कूल में तो उसकी सभी जानकारी जांच कर लें, नहीं तो बाद में बहुत समस्या होती है।

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No.-10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 CIN No:- L74899DL1984PLC019097, Ph: 011-46800600, Fax: 011-46800692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं आवश्यक उदघोषणा) विनियम

2015 के लागू विनियमन (ओं) के अनुसार प्रावधानों के अनुपालन में रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 10 मई, 2019 की दोपहर 12:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय — अग्रवाल सिटी स्क्वॉयर, प्लॉट नं. 10, मंगलम प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सेक्टर—3, 1. जिसमें अन्य कार्यों के अलावा 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही और वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय

परिणामों पर विचार, समीक्षा, अनुमोदन और उन्हें रिकॉर्ड करने का काम किया जाएगा। 2. तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में शेयरधारकों के लिए अंतिम लाभांश, यदि कोई है, पर विचार करने के लिए वार्षिक समान्य बैठक होगी।

इस नोटिस में निहित जानकारी हमारी वेबसाइट www.relaxofootwear.com के साथ-साथ NSE और BSE की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड हस्ता. / **-**

विकास कुमार टाक

कंपनी सचिव

तिथिः 30.04.2019 स्थानः दिल्ली

भारतीय स्टंट बंक आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबाद एससीओ-98, 1ला एवं दूसरा तल, सेक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद, फोनः 0129-2289222, फैक्सः 0129-2290222

3. बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी, फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 25.2.2019 जारी कर ऋणधारक(कों) एवं गारन्टर (रों) श्री सतवीर सिंह, पुत्र श्री भवानी सिंह, निवासीः एच. नं. 76, 1ला सेक्टर-91, सूर्य नगर सरकारी स्कूल, फरीदाबाद-121013 को खाता नं. 37110268631 एवं 37110305562 के माध्यम से सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 24.02.2019 को रु. 46,02,698.00 (रुपये छियालिस लाख दो हजार छः सौ अन्ठानवे मात्र)+ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ 25.02.2019 से ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक (कों)/गारन्टर (रों) इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक गारन्टर(रों) तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 25 अप्रैल, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ रु. 46,49,277.00 (रुपए छियालिस लाख उन्चास हजार दो सौ सतहत्तर मात्र) की राशि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति मकान सं. 276, सूर्य नगर, फेज-II, सेक्टर-91, फरीदाबाद-121013 सम्पत्ति के कार्पोट एरिया की माप 154.00 वर्ग यार्डस।

तिथि: 30.04.2019 स्थानः फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल

नर्ड विल्ली बेंच, नर्ड विल्ली के समक्ष

कंपनी आवेदन सं. (CAA)-46(ND)/2019 के मामले में :- कंपनी ( वचनबद्ता, प्रबंधन व समामेलन ) नियम 2016 के नियम 3 व 5 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232

के मामले में : क्रॉस बॉर्डर इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिभिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालय: डीबी-101-एफ, डीडीए फ्लैट्स, हरि नगर, नई विल्ली-110064

( आवेदक कंपनी 1/ हस्तांतरणकर्ता कंपनी )

निश्चय हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड इसका पंजीकृत कार्यालय, फ्लैट नं. 1004, 10वीं मंजिल, मसैटाइल हाउस, 15 के, जी, मार्ग, नई दिल्ली-110001 ( आवेदक कंपनी 2/ हस्तांतरिती कंपनी ) क्रॉस बॉर्डर इम्पोदर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिभतित ऋणदाताओं की बैठक की सूचना का विज्ञापन

नई दिल्ली बेंच, नई दिल्ली के आदेश द्वारा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के प्रावधानों के अंतर्गत निश्चय हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 2/ हस्तांतरिती कंपनी) (समग्र रूप से ''आवेदक कंपनियों'') और उनके संबोधित शेयरधारकों व ऋणदाताओं ("योजना") के साथ क्रॉस बॉर्डर इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी) के समामेलन के लिए प्रबंधन की योजना में शामिल प्रबंधन पर विचार करने और यदि सही लगता है. संशोधित सहित और संशोधन(ओं) के बिना के उददेश्य के लिए क्रॉस बॉर्डर इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिभृतित ऋणदाताओं की बैठक का निर्देश दिया है। उक्त आदेश के अनुपालन में और उसमें निर्देशानुसार, आगे सुचित किया जाता है कि हस्तांतरणकर्ता कंपनी के

प्रतिभृतित ऋणदाताओं की उपरोक्त बैठक निम्नानुसार आयोजित की जाएगी, जिसमें हस्तांतरणकर्ता कंपनी के उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है। क्र.सं. कंपनी का बैठक की आवेदक का नाम समय

| 1.   | server Acres | क्रॉस वॉर्डर इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमि<br>(आवेदक कंपनी 1/हस्तांतरणकर्ता<br>कंपनी) |  | शनिवार,<br>जून, 2019 | सुबह<br>11.30<br>बजे | आइवरी-32, सी-32,<br>ग्रेटर कैलाश-1,<br>नई दिल्ली-110048 |
|--|--------------|--|--|----------------------|----------------------|---|
| कंपनी (समझौते, प्रबंधन और समामेलन) नियमों, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम,<br>2013 की धाराओं 230(3), 232(1) और (2) और 102 के साथ पठित धारा 102 के अंतर्गत उक्त प्रबंधन<br>योजना की प्रतियां और विवरण हस्तांतरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या इसके अधिवक्ता श्री सुमन कुमार<br>झा/श्री अफनान सिद्दकी से कॉपोरेट प्रोफेशनल एडवाईजर एंड एडवोकेट, डी-28, पहली मॉजल, साउथ |              |  |  |                      |                      |   |

बैठकों में उपस्थित और वोट करने के हकदार व्यक्ति स्वयं या प्रॉक्सी द्वारा वोट डाल सकते हैं, सभी प्रॉक्सिया दिए गए निर्धारित फॉर्म में उपरोक्त बैठकों की आरंभ के निर्धारित समय से अडतालीस (48) घंटे पहले. उसके बाद नहीं , ऊपर वर्णित हस्तांतरणकर्ता कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा की जानी चाहिए। प्रॉक्सी के फॉर्म

हस्तांतरणकर्ता कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। एनसीएलटी ने अधोहस्ताक्षरी को अध्यक्ष. श्री रवि शर्मा को वैकल्पिक अध्यक्ष और श्री पंकज जैन को हस्तांतरणकर्ता कंपनी के अप्रतिभृतित ऋणदाताओं की उक्त बैठक के जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। उपरोक्त बैठकों में योजना यदि अप्रतिभृतित ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित होती है तो इसके बाद ट्रिब्युनल के

अनुमोदन का विषय होगी। विनांक : 30 अप्रैल, 2019 क्रॉस बॉर्डर इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अप्रतिभृतित

NEW INDIA ASSURANCE दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड The New India Assurance Co. Ltd

पंजीकृत व प्रधान कार्यालय : 87, एम जी रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 CIN NO.: L66000MH1919GOI000526, IRDA Reg No.: 190 फोन : +91 22 22708263; फैक्स : +91 22 22652811 ई-मेल : investors@newindia.co.in ; वेबसाइट : www.newindia.co.in

13 मई, 2019 को आयोजित बोर्ड बैठक की सूचना एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभृति व विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व व प्रकटीकरण

आवश्यकता) विनियमन, 2015 के प्रासंगिक नियम के अनुपालन में कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 13 मई, 2019 को 87 एम जी रोड, मुंबई स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होगी जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ,

• 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम पर चर्चा व

• लाभांश, यदि कोई हो, पर चर्चा व अनुशंसा। • अन्य किसी विषय पर चर्चा जो बोर्ड को उचित लगे।

उक्त सूचना की प्रति कंपनी की वेबसाइट : <u>www.newindia.co.in</u> पर भी उपलब्ध है। वास्ते दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कं0 लि0

स्थान : मुंबई

जयश्री नायर दिनांक : 30.04.2019 कंपनी सचिव शाखा :- नजफगढ्

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI 16 बी रोशन मंडी, नजफगढ़, नई दिल्ली -110043 फोन 011-25321424

कब्जा सुचनानियम 8(1) अनुछेद IV अचल सम्पत्ति के लिये यत: विलीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम

2002 के अन्तर्गत एवं धारा 13 ( 12 ) के सपिठत प्रतिभृति हित् ( प्रैवर्तन ) नियम 2002 के 3 के अधीन प्रदल्त शृक्तित्यों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने बैंक ऑफ इण्डिया क प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते डिमाण्ड नोटिंसे के अन्तर्गत जिसमे ऋणी मैसर्स पंडितजी जनरुल स्टोर् को दिनाक 05 .02.2019 को जारी किया गया , जिसके द्वारा नोटिस मे उल्लेखित राशि रूपये 30,40,015.11 ( रूपये तीस लाख चालिस हजार पंदह और ग्यारह पैसे मात्र ) का भुगतान इस नोटिस की पावती तारीख से 60 दिनों के भीतर करने के लिये कहा

ऋणी द्वारा राशि के पुर्नभुगतान करने में असफल होने पर एतद्द्वारा ऋणी को तथा आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 25 अप्रैल 2019 को उक्त अधिनियम 13 की उपधारा ( 4 ) संपठित उक्त नियमावली 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है । ऋणी को विशेष् रूप् से तथा जनसामान्य को सामान्य रूप से सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति बाबत् कोर्ड संव्यवहार नहीं करे और इस सम्पत्ति बाबत् किया गया कोई भी संव्यवहार बकाया राशि रूपये 30,40,015.11 तक ब्याज एवं अन्य प्रभार की राशि के अध्यधीन प्रतिभुत सम्पत्ति के मोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा

13 की उपधारा ( 8 ) के प्रावधानों की ओर आकुष्ट किया जाता है।

### अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जो कि जमानतदार के नाम से श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा खसरा नं. 56/9 मे, गाँव अम्बरहाय और जिला, द्वारका सेक्टर 19, नई दिल्ली -75 में स्थितहै।

सीमाएँ:- उत्तर:- अन्य सम्पति, पूर्व:- हरि फ्लोर मिल, दिनांक:25-04.2019 स्थान: नई दिल्ली

दक्षिण:- रोड और खुला, पश्चिम:- श्री श्याम बैंक्वेट प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इण्डिया

ऋण वसूली प्राधिकरण, देहरादून भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग)

द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

प्रकाशन सूचना टी0ए0 संख्या 571 वर्ष 2018 में (डीआरटी, लखनऊ का पुराना ओ०ए० संख्या 712/2016)

ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम 1993 की धारा 19 की उपधारा (4) जोकि समय समय पर संशोधित ऋण वसूली प्राधिकरण, (प्रक्रिया) 1993 के नियम 5 के उपनियम (2ए) के साथ पढ़ा जाए, के अंर्तगत सम्मन

दिनांकः 25.04.2019 डायरी संख्या 38 पंजाब नैशनल बैंक बनाम मैसर्स रोशनी इंटरनेशनल एवं अन्य . मैसर्स रोशनी इंटरनेशनल (प्रोपराइटरशिप फर्म), ऑफिस गली नं0 04.

चमन विहार, निरंजनपुर देहराद्न। द्वितीय पताः प्लाट नं० ४, शिव गंगा इंडस्ट्रियल एरिया, पोस्ट ऑफिस,

भगवानपुर, रूडकी, जिला हरिद्वार रिव गोयल प्रोपराइटर मैसर्स रोशनी इंटरनेशनल पुत्र श्री कुलभूषण गोयल,

निवासी गली नं0 04, चमन विहार, निरंजनपुर देहरादून। कृपया ध्यान दें कि ओ०ए० संख्या 712 / 2016 आवेदक बँक द्वारा अपने रू0

1,54,03,095.54 / - की ऋण वसुली के लिए डीआरटी, लखनऊ में आपके विरूद्ध लंबित थी, जिसे 16 फरवरी 2017 को Gazette Notification S.O. 454 (E) दिनांकित 15.02.2017, S.O.784 (E) दिनांकित 23.02.2018 एवं corrigendum Gazette Notification S.O. 816(E) दिनांकित 27.02.2018 द्वारा डीआरटी, देहरादून को स्थानान्तरित कर दिया गया है। उपरोक्त वर्णित वाद को टी.ए. संख्या 571 / 2018 अंकित किया गया हैं तथा माननीय पीठासीन अधिकारी, डीआरटी, देहरादन के समक्ष 23.04.2018 को सूचीबद्ध किया गया था।

जहां तक कि ट्रिब्यूनल की संतुष्टि के लिए यह बता दिया गया है कि साधारण प्रक्रिया से आपको सम्मन सर्व करना संभव नहीं है, अतः इस प्रकाशन के माध्यम से यह सूचना जारी की जा रही है, जिसमें आपको निर्देश दिया जाता है कि आप **दिनांक** 15.06.2019 को प्रातः 10:30 बजे ट्रिब्युनल के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत प्राधिकृत एजेंट अथवा विधिक प्रेक्टिशनर के माध्यम से उपस्थित हों।

हुपया नोट करें कि निर्धारित दिन एवं समय पर यदि आप उपस्थित नहीं होते है, तो मामले की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में कर लिया जाएगा। सम्मन अप्रैल 2019 के 25वें दिन अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर एवं इस ट्रिब्यूनल की मोहर के

अधीन जारी किया जाता है। ट्रिब्युनल के आदेशानुसार

रजिस्ट्रार (प्रभारी), ऋण वसूली ट्रिब्युनल, देहरादून

सोनीपत, हरियाणा-131001

अनुपालन में] केन्द्रीय सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप—नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

रेड पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 114, अंसल चैम्बर्स—ii, 6, भीकाजी कामा

रतदद्वारा आम जनता को सचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" मे उसके कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 29.03.2019 को आयोजित असाधाराण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोंरेन्डम आफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंनर्गत यह कम्पनी केन्द्र सरकार के

पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस परिवर्तन से

पंजीकृत डाक से भेजें। 114, अंसल चैम्बर्स—ii, 6, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

हस्ता./

धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में स्पेसऐज स्विचगियर्स लिमिटेड (CIN: U31300HR1998PLC033897 जिसका पंजीकत कार्यालयः

प्रारुप संख्या आईएनसी-25 क

क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की

68, इंडस्ट्रियल डेवलपर्मेंट कॉलोनी, गुडगाँव-122001 में स्थित है, के मामले में, आम जनता को सुचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे

नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन 🗸 स्थिति के कारण, यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हए, जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, इस सचन के छपने के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी

स्पेसऐज स्विचगियर्स लिमिटेड अमर नाथ पाठक (निदेशक)

प्रपत्र सं आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में

प्लेस, नई दिल्ली—110066

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एम सी ए 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते : बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या

आवेदक के लिये तथा असकी और से

तेथि : 30.04.2019 निदेशक स्थान : नई दिल्ली डीआईएनः 00040954 पता : ए-184, टिनिटी टावर, डीएलएफ क्लब 5 के सामने, सिकन्दरपुर घोसी, ग्ड़गाँव,हरियाणा—122018

संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए दिनांक **1 दिसम्बर** 2018 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त

आवेदक कंपनी को उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय 68, इंडस्ट्रियल डेवलपर्मेंट कॉलोनी, गुड़गांव-122001 में भी

DIN:01583802

रेड पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड गोविन्द शारदा

2. The principal objects of the company are as follows:

and import house of goods. 3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at 9306, Sector-C, Pocket-9, Vasant Kunj, New Delhi-

of this notice, with a copy to the company at its registered office. Dated this 01st Day of May, 2019

YOPALATE TECHNOLOGIES LLP Regd. Off: 9306, Sector C, Pocket 9, Vasant Kunj, New Delhi-110070

LLPIN: AAJ-0781, E-Mail ID: neelu1303@gmail.com FORM URC-2 Advertisement giving notice about registration under Part I of

[Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014] NOTICE IS HEREBY GIVEN that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at 4th Floor, IFCI Tower 61. Delhi-110019 that YOPALATE TECHNOLOGIES LLP a LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares.

chapter XXI of the Act

a. To carry on the business of providing Technology Services, food discovery services, marketplace for Grocery and food services b. To carry on the business of trading, distributing, buying, selling or reselling, transporting, Storing, developing, importing, exporting, promoting, marketing, supplying, dealing in any

c. To carry on the business as exhibitors of any type of goods, services and merchandise and to undertake the necessary activities to promote the abovementioned business dealt d. To act as broker, trader, agent, C & F agent, shipper, commission agent, distributor representative, franchiser, consultant, collaborator, stockiest, liaison, job worker, export

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050, within twenty one days from the date of publication

1. Neelu Chadha (Designated Partner)

Name(s) of Applicant

2. Sakshee Chadha (Designated Partner) स्थान : नई विल्ली

हतदुद्वारा सृचित किया जाता है कि आदेश दिनांक 26 अप्रैल, 2019 को माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल

[क्सटेंशन-।, नई दिल्ली-110049 के कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।

ऋणदाताओं की बैठक के लिए एनसीएलटी द्वारा नियुक्त अधयक्ष

बैठक का स्थान तिथि

विवेक सिंह,

## मसूद आंतरराष्ट्रीय दहरातवादी घोषित होण्याची राक्यता

पीटीआय, बीजिंग

पुलवामा हल्ल्याचा सूत्रधार असणारा जैश-ए-महम्मदचा प्रमुख मसूद अझर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठीचे तांत्रिक प्रतिबंध चीन बुधवारी, १ मे रोजी उठवण्याची शक्यता आहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत बुधवारी हा मुद्दा चर्चिला जाणार असून त्यावेळी चीन आपली भूमिका बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना यश

मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मसूद अझर याला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याचा मुद्दा योग्य प्रकारे सोडवला जाईल, असे सांगत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी चीनच्या भूमिकेत बदल केला जाईल याबद्दल संकेत दिले आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर मंगळवारी हे संकेत दिले.

पुलवामा हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतरही मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यास चीनने मार्च महिन्यात तांत्रिक



गेंग शुआंग

मुद्द्यांचा आधार घेत प्रतिबंध केला

मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी जाहीर करण्याचा मुद्दा योग्य प्रकारे सोडवला जाईल असे

मला वाटते, अशी माहिती चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता गेंग शुआंग यांनी दिली. मसूद अझर याला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याच्या मार्गात निर्माण केलेला तांत्रिक अडसर दूर करण्याचा निर्णय चीनने घेतल्याचे वृत्त होते, त्याला विचारलेल्या प्रश्नांना शुआंग यांनी उत्तर दिले. गेंग शुआंग यांनी सांगितले की, आम्ही या मुद्यावर आमची भूमिका वेळोवेळी स्पष्ट केली आहे. आम्ही दोन मुद्द्यांवर जोर देऊ इच्छितो. पहिला मुद्दा हा की, मसूद अझरवरील बंदीवर योग्य प्रकारे संवाद

घडून अधिकाधिक सदस्यांच्या सहमतीने हा मुद्दा पुढे नेला जाऊ शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असून त्यात योग्य ती प्रगती होत आहे. सगळ्यांच्या सहमतीने या मुद्यावर पुढे जाता येईल असा आम्हाला विश्वास आहे, असेही ते म्हणाले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या १२६७ अल कायदा प्रतिबंध समितीमध्ये फ्रान्स. ब्रिटन आणि अमेरिकेने मसूद अजहरवर बंदी घालण्यासाठी नवा प्रस्ताव मांडला होता, मात्र चीनने त्यावर तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करत खोडा घातला होता.

### निकृष्ट आहार दिल्यानेच मंजुळा शेट्येला मारहाण प्रत्यक्षदर्शी सहकैद्याची सत्र न्यायालयापुढे साक्ष

साक्षीत, घटनेच्या काही

महिने आधीच कारागह

अधीक्षक म्हणून नियुक्त

आरोपी मनीषा पोखरकर

यांची कैद्यांमध्ये प्रचंड

आलेल्या

मुख्य

करण्यात

प्रकरणातील

प्रतिनिधी, मुंबई

भायखळा कारागृह अधिकाऱ्यांच्या खबऱ्यांना खराब अंडी दिल्यानेच वॉर्डन आणि कैदी मंजुळा शेट्ये हिला कारागृह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बेदम माराहाण केली, अशी साक्ष या प्रकरणातील प्रत्यक्षदर्शी व सहकैद्याने मंगळवारी सत्र न्यायालयासमोर दिली. कारागृह अधीक्षक मनीष

पोखरकरसह महिला कारागृह पोलीस बिंदु नाईकवडे, वसिमा शेख, शीतल शेगावकर, सुरेखा गुळवे आणि आरती शिंगणे या सहाजणींविरोधात मंजूळाची हत्या केल्याप्रकरणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीरा शायना पाटील यांच्यासमोर खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी या प्रकरणातील दुसरी

बनीहाल हल्ल्याप्रकरणी ६ दहशतवाद्यांना अटक

दहशत होती. त्या कैद्यांना सतत साक्षीदार आणि सहकैदी असलेल्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराची शिवीगाळ करत असत. मंजूळाला नोंदवण्यास सुरुवात झाली. साक्ष मारहाण केल्यानंतर तिला मदत नोंदवताना आरोपी हजर नसल्याने करणाऱ्यांचीही हीच अवस्था केली साक्ष नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवू जाईल. असे पोखरकर यांनी अन्य नये, असा दावा करत आरोपींच्या महिला कैद्यांना धमकावले होते. त्यामुळे कुणीही मंजुळाला मदत विकलांनी त्याला विरोध केला. मात्र न्यायालयाने मागणी फेटाळून लावली. करण्यास पुढे गेले नाही, असे या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराने आपल्या न्यायालयाला सांगितले.

> महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

शुद्धिपत्रक

सर्व संबंधितांना कळविण्यात येत आहे की. या वर्तमानपत्रांतून दि. २७.४.२०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीबाबत पुढील बदलाची नोंद

मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ (स्कीमचे नवीन काम) इमारतीमधील जुने उद्वाहन बदलून नवीन (एक नग) उद्वाहन बसविण्याबाबतची ई-निविदा सूचना (३ री बोली) दि. ३०.४.२०१९ ते दि. ६.५.२०१९ या कालावधीत मागविण्यात आली होती. काही अपरिहार्य कारणास्तव सदर ई-निविदा रद्द करण्यात येत आहे.

कार्यकारी अभियंता/विद्युत, प्राधिकरण म्हाडा- गृहनिर्माण क्षेत्रातील देशातील अग्रगण्य

#### पीटीआय, जम्मू जिमयात-ए-तलबी ही संघटना युवकांना जिहादसाठी मोठ्या प्रमाणावर तयार करते, असे त्याच्या

जम्मू-काश्मीर महामार्गावर गेल्या महिन्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) ताफ्यावर केलेल्या निष्फळ आत्मघातकी बॉम्बहल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी सहा दहशतवाद्यांना अटक केली असून त्यामध्ये एका पीएचडीधारकाचा समावेश असल्याचे पोलिसांनी सोमवारी सांगितले.

जम्मूचे पोलीस महानिरीक्षक एम. के. सिन्हा यांनी सांगितले की, पीएचडीधारक हा जमात-ए-इस्लामी या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेशी संलग्न विद्यार्थी संघटना जिमयात-ए-तलबाशी संबंधित आहे.

चौकशीतून समोर आले आहे. अटक केलेल्या दहरातवाद्यांमध्ये पीएचडीधारक हिलाल अहमद मण्टू, वासीम उर्फ डॉक्टर, उमर शफी, आकिब शाहा (सर्व शोपियनचे) आणि शाहीद वानी ऊर्फ वॉटसन (पुलवामा) आदींचा समावेश आहे. सहाव्या दहरातवाद्याचे नाव ओवेस अमिन असे असून तो हिज्बुलचा आत्मघातकी हल्लेखोर आहे, त्याला १ एप्रिलला बनीहालमधील तीथर येथे अटक केली होती. सीआरपीएफच्या ताफ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करून तो पसार होण्याच्या तयारीत होता.

**CPRO/A/147** 

### पीटीआय, नवी दिल्ली असेही या महिलेने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीशांवर लैंगिक छळाचे आरोप करणाऱ्या महिलेचा निर्णय

चौकशी समितीसमोर हजर राहणार नाही

सरन्यायाधीश रंजन यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील एका माजी महिला कर्मचाऱ्याने चौकशीसाठी न्यायाधीशांच्या समितीसमोर इन-हाऊस हजर न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर समितीकडून आपल्याला न्याय मिळणार नाही. अशी आपली धारणा झाली असल्याने चौकशीसाठी यापुढे हजर राहणार नसल्याचे या महिलेने म्हटले आहे.

न्या. एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या चौकशी समितीसमोर आपण मंगळवारी तिसऱ्यांदा हजर झालो, मात्र काही कारणास्तव यापुढे इन-हाऊस चौकशीमध्ये आपण सहभागी होणार नाही, असे या महिलेने एका निवेदनात म्हटले

इन-हाऊस चौकशीच्या वेळी आपल्या विकलास हजर राहण्याची अनुमती देण्यात आली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या समितीसमोर विकलांच्या पाठिं ब्याविना हजर राहण्याची आपल्याला भीती वाटली, असे या महिलेने म्हटले आहे.

या समितीकडून आपल्याला न्याय मिळेल असे वाटत नाही त्यामळे आपण यापुढे चौकशीला हजर राहणार नाही, असे महिलेने म्हटले

विकलांना हजर राहण्याची अनुमती देण्यात आली नाही, या चौकशीचे दुकश्राव्य रेकॉर्डिंग करण्यात आले नाही, आपल्या निवेदनाची प्रतही देण्यात आली नाही, समितीची चौकशीची पद्धत कशी असेल त्याची माहितीही आपल्याला देण्यात आली नाही.

अनुत्तरित असतानाच बगदादीचा

व्हिडीओ पुढे आल्याने संभ्रम निर्माण

झाला आहे. आयसिसने हा व्हिडीओ

व्हिडीओ कधी चित्रित करण्यात

आला त्याची तारीख देण्यात आलेली

नाही. सीरियातील आयसिसचा

अखेरचा बालेकिल्ला असलेल्या

बागूजबाबत बगदादी बोलताना

साखळी बॉम्बस्फोटांची जबाबदारी

आयसिसने स्वीकारली होती. या

असल्याचा दावा करणारा व्हिडीओ

समोर आल्याने त्याचे अनेक अर्थ

दिवसांमध्येच बगदादी

काढले जात आहेत.

दरम्यान, श्रीलंकेत झालेल्या

जारी केला आहे.

दिसत आहे.

स्फोटांनंतर

आपण केलेल्या तक्रारीबाबत सरन्यायाधीशांकड्न स्पष्टीकरण मागविले आहे की नाही त्याबाबतही आपण अनभिज्ञ असल्याचे या महिलेने म्हटले आहे. समितीमध्ये होणाऱ्या कामकाजाबाबत माध्यमांनाच नव्हे तर आपल्या विकलांनाही माहिती न देण्याच्या तोंडी सचना देण्यात आल्याचा दावा या महिलेने केला

सोमवारी आपण चौकशी समितीसमोर हजर राहण्यासाठी घराबाहेर पडलो पडलो तेव्हा चार व्यक्तींनी दोन दुचाकींवरून

आपला पाठलाग केला त्यामुळे आपल्याला आपल्या सुरक्षिततेची चिंता वाटत आहे, असेही महिलेने म्हटले आहे. या सर्व कारणास्तव

यापुढे आपण चौकशीला हजर राहणार नाही, असेही या महिलेने म्हटले आहे.

बलात्कारप्रकरणी नारायणसाईला जन्मठेपेची शिक्षा

सुरत: स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरू आसाराम बापू याचा मुलगा नारायणसाई याला बलात्कारप्रकरणी येथील सत्र न्यायालयाने मंगळवारी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. एका महिला नारायणसाईविरुद्ध २०१३ मध्ये बलात्काराचा गुन्हा नोंदविला होता

अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ती पी. एस. गढावी यांनी नारायणसाई याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आणि पीडितेला पाच लाख नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला. नारायणसाई याच्या दोन महिला साथीदारांसह तिघांना विविध गुन्ह्यांसाठी प्रत्येकी १० वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. नारायणसाईचा वाहनचालक राजकुमार ऊर्फ रमेश मल्होत्रा याला सहा महिन्यांची शिक्षा ठोठावण्यात आली न्यायालयाने २६ एप्रिल रोजी नारायणसाई याला दोषी ठरविले होते. एकूण ११ आरोपींपैकी सहा जणांची न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली

रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब प्रायवेट लिमिटेड आणि सिट्रस चेक-इन्स लिमिटेड (लिक्विडेशनमधील)

जाहीर नोटीस

सर्व दावाकर्त्यांना याद्वारे माहिती देण्यात येत आहे की, दिनांक 5 एप्रिल, 2019 च्या जाहीर घोषणेनुसार, दावे सादर करण्यासाठीची शेवटची तारीख 30 एप्रिल 2019 होती, परंतु जनतेच्या हितासाठी आम्ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांचेकडे एक अर्ज दाखल केला आहे व दावे दाखल करण्याचा कालावधी वाढवण्यासाठी तसेच आयबीबीआय (लिक्विडेशन नियमने) प्रक्रियेनुसार फॉर्म 'सी' भरण्यासाठीची मुदत वाढवण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे क्लेम फॉर्मस् फक्त माननीय सर्वोच्च न्यायायल यांच्या निर्देशांनंतरच स्वीकारले जातील.

याद्वारे हेही कळवण्यात येत आहे की ही संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर प्रक्रिया आहे आणि त्यासाठी कोणत्याही पद्धतीने किंवा कोणत्याही व्यक्तीद्वारे शुल्क आकारता येणार नाही. जर कोणीही व्यक्ती कोणत्याही प्रक्रियेसाठी कोणतीही रक्कम शुल्क / अन्य स्वरूपात मागत असेल तर ती रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत देऊ नये. जर तुम्हाला अशा प्रकारची घटना कोठेही दिसून आली तर तुम्ही त्याबद्दल आम्हाला कळवू शकता. एसएमसी यांचेसाठी व यांचेद्वारे

(सेल-कम-मॉनिटरिंग कमिटी) तारीख: 01/05/2019 ठिकाण : मुंबई

### NEW INDIA ASSURANCE दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड The New India Assurance Co. Ltd

मुख्य व नोंदणीकृत कार्यालय: ८७, एम.जी.रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१ CIN क्र. : L66000MH1919GOI000526, आयआरडीए नोंदणी क्र. : १९० फोन : +९१ २२ २२७०८२६३; फॅक्स : +९१ २२ २२६५२८११

ई-मेल : investors@newindia.co.in; वेबसाइट : www.newindia.co.in १३ मे, २०१९ रोजी होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या सभेची सूचना

याद्वारे सुचित करण्यात येते की, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ऑण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ संबंधित नियमांच्या अनुषंगाने कंपनीच्या संचालक मंडळाची सभा सोमवार, दि. १३ मे, २०१९ रोजी घेण्यात येईल, ज्यात खालील बाबी करण्यात येतील दि. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षीचे लेखापरीक्षित वित्तीय निकाल विचारात घेऊन

लाभांश, असल्यास, विचारात घेऊन त्यास मंज्री देणे. मंडळास योग्य वाटेल त्या इतर कोणत्याही बाबी करणे.

सदर सूचनेची एक प्रत कंपनीच्या वेबसाइटवर <u>www.newindia.co.in</u> येथेसुद्धा उपलब्ध आहे. दि न्यू इंडिया ॲइयुरन्स कं.लि. करिता

दिनांक : ३०.०४.२०१९

स्वा./-जयश्री नायर कंपनी सचिव

### 'आयसिस'चा म्होरक्या बगदादी जिवंत असल्याचा व्हिडीओ जारी

वृत्तसंस्था, बगदाद

आयसिस या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या अबू बकर अल-बगदादी ठार झाल्याचे वृत्त अनेकदा आले असले तरी तब्बल पाच वर्षांनंतर बगदादी एका व्हिडीओद्वारे पुन्हा एकदा जगासमोर आला आहे. तथापि, आयसिसने जारी केलेला बगदादीचा हा व्हिडीओ नेमका कधी चित्रित करण्यात आला आहे, ते स्पष्ट झालेले नाही.

बगदादी २०१४ मध्ये मोसूल शहरात अखेरचा दिसला होता. त्यानंतर मध्यंतरीच्या काळात तो मारला गेल्याचे, जखमी झाल्याचे वृत्त अनेकदा आले होते. त्यामुळे बगदादीचे नेमके काय झाले, हा प्रश्न

अमली पदार्थ

बाळगल्याप्रकरणी

नेस वाडियाला कारावास

नवी दिल्ली: प्रसिद्ध उद्योगपती नसली

वाडिया यांचा पुत्र नेस वाडिया याला

अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी

जपानमधील सपोरो न्यायालयाने दोन

वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली

आहे. तथापि, ही शिक्षा पाच वर्षांसाठी

स्थगित ठेवण्यात आली आहे. पुढील

पाच वर्षांच्या कालावधीत नेस

वाडियाने गुन्हा केल्यास त्याला

आयपीएलमधील किंग्ज इलेव्हन

पंजाबचा सहमालक असलेल्या

नेसला उत्तर जपानमधील होक्काइदो

विमानतळावर मार्च महिन्याच्या

पहिल्या आठवड्यात अटक करण्यात

आली होती. त्या वेळी त्याच्याकडे २५ ग्रॅम कॅनाबीस रेझिन आढळले होते. या

वृत्ताबाबत प्रतिक्रिया देताना वाडिया

समूहाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की,

नेस वाडिया हा भारतामध्ये आहे.

न्यायालयाने ही शिक्षा पाच वर्षांसाठी

स्थगित ठेवल्याने नेस वाडिया याला

आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात

अडचण येणार नाही, तसेच नेस वाडिया हे वाडिया समूहामध्ये आणि

अन्यत्र नेहमीप्रमाणेच जबाबदारी पार

पाडू शकणार आहेत. नेस वाडिया

जपानमध्ये २० मार्चपूर्वी पोलिसांच्या

ताब्यात होता. त्यानंतर जामीन

मिळवून तो भारतामध्ये आला.

खासगी वापरासाठी अमली पदार्थ बाळगल्याची कबुलीही त्याने दिली

तुरुंगात पाठविण्यात येणार आहे.

### 'फॅनी' चक्रीवादळ अधिक तीव्र होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली: फॅनी हे चक्रीवादळ रात्री उशिरापर्यंत अधिक रौद्र रूप धारण करण्याची शक्यता असून ते शुक्रवारी दुपारपर्यंत ओदिशामध्ये धडकू शकते, असा इशारा भारतीय हवामान खात्याने मंगळवारी दिला आहे.

सध्या फॅनी वादळ दक्षिण पूर्वेकडे आणि बंगालच्या उपसागरात असून ते पुरीपासून ८३० कि.मी.वर, विशाखापट्टणमपासून ६७० कि.मी.वर आहे, असे हवामान खात्याने १२ वाजता जाहीर केलेल्या माहितीमध्ये म्हटले आहे. हे चक्रीवादळ पुढील १२ तासांमध्ये अधिक रौद्र रूप धारण करण्याची शक्यता असून ते ३ मे रोजी दुपारपर्यंत ओदिशाच्या किनाऱ्यावर थडकण्याची शक्यता आहे, या वेळी १७०-१८० कि.मी. वेगाने वारे वाहण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.

#### शुद्धिपत्र सूचना निविदा सूचना क. व तारीखाः बीसीटी/ १९-२०/६६, दि. २३.०४.२०१९ याकरिता

शृद्धिपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- काम व ठिकाण-विद्यमान मजकुरानुसार: झोन-ए (१सी व १डी):- चर्चगेट-विरार अनुभाग-कोलोनामधील बधवारपार्क एरियाकडील सर्व रेल्वे ऑफिसर्स फ्लॅट्स/क्वॉर्टर्स, सर्व रिक्रिएटिनल बिल्डिंग्ज, इ. समाविष्ट, बधवारपार्क कॉलनीकडील अनुभागातील एसई(डब्ल्य्) बधवारपार्कच्या अधिकारितेतील सर्वसाधारण दुरुस्ती; काम व ठिकाण- वाप्रमाणे वाचावे: झोन-ए:- चर्चगेट-विरार अनुभाग-कॉलनीमधील बधवारपार्क एरियाकडील सर्व रेल्वे ऑफिसर्स फ्लॅट्स/क्वॉर्टर्स, सर्व रिक्रिएशनल बिल्डिंग्ज, इ. समाविष्ट, बधवारपार्क कॉलनीकडील अनुभागातील एसई(डब्ल्यु) बधवारपार्कच्या अधिकारितेतील सर्वसाधारण दुरुस्ती; निविदा सूचना क्र. व

पदिचम रेल्वे

बीसीटी/१९-२०/६७, दि. २३.०४.२०१९ याकरिता शुद्धिपत्र खालीलप्रमाणे आहे:- काम व ठिकाण-विद्यमान मजकुरानुसार: श्रोन-बी (१ए व १वी): चर्चगेट-विरार अनुभाग- चर्चगेटमधील चर्चगेट रेल्वे क्वॉर्टर्स समाविष्ट, पश्चिम रेल्वे एचक्यू ऑफिसेस, सर्व्हिस बिल्डिंग्ज, त्यातील सर्व रेल्वे ऑफिसेससह चर्चगेट (समाविष्ट) पासून ते मरिन लाइन्स बगळता) (समाबिष्ट) चर्चगेट स्टेशन कॉम्प्लेक्सपर्यंत अनुभागातील एसई(डब्ल्यू) चर्चगेटच्या अधिकारितेतील सर्वसाधारण दरुस्ती काम व ठिकाण- याप्रमाणे वाचावे झोन-बी:- चर्चगेट-विरार अनुभाग चर्चगेटमधील चर्चगेट रेल्वे क्वॉर्टर्स समाविष्ट, पिचम रेल्वे एचक्यू ऑफिसेस, सर्व्हिस बिल्डिंग्ज, त्यातील सर्व रेल्वे ऑफिसेससह चर्चगेट (समाविष्ट) पासुन ते मरिन लाइन्स (वगळता) (समाविष्ट) चर्चगेट स्टेशन कॉम्प्लेक्सपर्यंत अनुभागातील एसई(डब्ल्यु) चर्चगेटच्या अधिकारितेतील सर्वसाधारण दुरुस्ती; निविदा सूचना क्र. व तारीखा: बीसीटी/१९-२०/६८, दि. २३.०४.२०१९ याकरिता शृद्धिपत्र खालीलप्रमाणे आहे:- काम व ठिकाण- विद्यमान मजकुरानुसार: ज्ञोन-सी (२ए, २बी, २सी व २डी):- चर्चगेट-विरार अनुभाग- मुंबई सेंट्रलमधील मुंबई सेंट्रल स्टेशन (मेन), जे. आर. हॉस्पिटल, जे. आर. हॉस्पिटलमधील क्वॉर्टर्स, आग्रीपाडा कॉलनी, स्कायस्क्रॅपर, १४ ऑफिसर्स फ्लॅट्स, रिझव्हेंशन ऑफिस बिल्डिंग्ज, डीआरएमचे ऑफिस आणि सर्व सर्व्हिस बिल्डिंग्ज समाविष्ट एसएसई (डब्ल्यू-१) मुंबई सेंट्रलच्या अधिकारितेतील पेंटिंग समाविष्ट सर्वसाधारण दुरुस्ती; काम व ठिकाण- याप्रमाणे वाचावे : झोन-सी :- चर्चगेट-विरार अनुभाग-मुंबई सेंट्लमधील मुंबई सेंट्ल स्टेशन (मेन), जे.आर. हॉस्पिटल, जे.आर. हॉस्पिटलमधील क्वॉर्टर्स, आग्रीपाडा कॉलनी, स्कायस्क्रॅपर, १४ ऑफिसर्स फ्लॅट्स, रिझर्व्हेंशन ऑफिस बिल्डिंग्ज, डीआरएमचे ऑफिस आणि सर्व सर्व्हिस बिल्डिंग्ज समाविष्ट एसएसई(डब्ल्यू-१) मुंबई सेंट्राच्या अधिकारितेतील पेंटिंग समाविष्ट सर्वसाधारण दुरुस्ती. कृपया अधिक तपशील व माहिती, शुद्धिपत्र याकरिता संबंधित निविदेमधील www.ireps.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

तहार सहर दत : 🚹 facebook.com/WesternRly

# पुडुचेरीच्या राज्यपाल किरण बेदी

जिवंत

पीटीआय, चेन्नई

बेदी यांना मंगळवारी मद्रास उच्च न्यायालयाने दणका दिला. पुडुचेरी सरकारच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये बेदी यांना हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सरकारने बेदी यांना काही विशेष अधिकार दिले होते ते अधिकार न्यायालयाने काढून घेतले आहेत. या अधिकारांमुळे बेदी पुडुचेरी सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात लक्ष घालत होत्या. सरकारने घेतलेल्या

कोणताही आदेश देता येणार नाही.

## यांना केंद्राने दिलेले अधिकार काढले

नायब राज्यपाल म्हणून केंद्र

डीजीआयपीआर २०१९/२०२०/१०७

कोणत्याही निर्णयाची फाइल तपासण्यासाठी मागविण्याचा अधिकार **पुडुचेरीच्या नायब** राज्यपाल किरण त्यांना मिळाला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी आणि बेदी यांच्यात खटके उडत होते. पुडुचेरीतील काँग्रेसचे आमदार के. लक्ष्मीनारायणन यांनी बेदी यांच्या विशेष अधिकारांना न्यायालयात आव्हान दिले होते त्यावर न्या. आर. महादेवन यांनी आदेश दिला. न्यायालयाने बेदी यांचे विशेषाधिकार रद्द केल्याने त्यांना आता सरकारकडून कोणतीही फाइल मागविता येणार नाही अथवा सरकारला किंवा सरकारच्या वतीने

### जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांचे कार्यालय

जुने जकात घर, ३ रा मजला, शाहीद भगतिसंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ Tel. No. 22663453/22613264, E-mail: electionmumbaicity@gmail.com क्रमांक : ईएलएन/डी-१०/म.वा. पुरवठा/ई-निविदा/जाहिरात/२०१९

दिनांक : /०५/२०१९ ई-निविदा सूचना क्रमांक ०३/२०१९

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर जिल्हाअंतर्गत येणाऱ्या ३०-मुंबई दक्षिण मध्य व ३१-मुंबई दक्षिण लोकसभा मतदारसंघाच्या मतमोजणी केंद्रावर मध्यवर्ती वातानुकूलन (Centralized AC) इतर आनुषंगिक बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी अनुभवी व सुयोग्य अभिकर्त्याकडून विहित नमुन्यातील निविदा ई-निविदा प्रणालीद्वारे मागवीत आहेत. सदर ई-निविदा www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर दि. १.५.२०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

कामाचे नाव : मुंबई शहर जिल्ह्यातील ३०- मुंबई दक्षिण मध्य व ३१- मुंबई दक्षिण या दोन लोकसभा मतदारसंघांच्या न्यू शिवडी वेअर हाऊसिंग, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई येथील मतमोजणी केंद्रावर येथे मध्यवर्ती वातानुकूलन (Centralized AC) व इतर आनुषंगिक बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी.

(शिवाजी जोंधळे) जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा



महाराष्ट्र!

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन

डिजीआयपीआर /२०१९-२०-८२